गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक 264 / उद्यान / 21 दिनांक 09 / 12 / 2021

VI

निविदा सूचना

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से सपठित उल्लेखित नियम व शर्तो के अन्तर्गत निम्न कार्यों की मुहरबन्द निविदाएं कार्य के सम्मुख अंकित दिनांक को आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र प्राधिकरण परिसर में स्थित विजया बैंक (बैंक आफ बड़ौदा) एवं प्राधिकरण वैबसाइट से बैंक कार्यालय अवधि में कार्य के सम्मुख अंकित अवधि में किसी भी कार्य दिवस में क्रय किये जा सकेंगे। निविदाएं प्राधिकरण कार्यालय स्थित मुख्य अभियन्ता कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बाक्स में निम्नानुसार निविदा आमंत्रण के दिनांक को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्हः 2:00 बजे तक डाली जा सकती है। प्राप्त सभी निविदाएं सूचना पत्र में निर्धारित तिथि को अपरान्ह 04:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों / फर्मो के समक्ष (यदि उपस्थित हों) खोली जायेंगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धनांक (रू0)	धरोहर राशि (रू0)	निविदा मूल्य जी0एस0टी0 सहित (रू0)	अवधि	कार्य की श्रेणी	निविदा विक्रय की प्रारम्भ तिथि	निविदा विक्रय की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1.	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना में स्थित रोड नम्बर–1 की सेन्ट्रल वर्ज का एक वर्ष की अवधि के लिए उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।	4,64,297.00	10,000.00	1121.00	12 माह	डी	15.12.2021	24.12.2021	27.12.2021
2.	राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बन्धा रोड के समीप स्थित सिटी फॉरेस्ट में गार्ड रूम / सूचना केन्द्र के नजदीक क्षतिग्रस्त सी0सी0 पाथ के सुधार कार्य।	4,87,536.00	10,000.00	1121.00	1 माह	डी	15.12.2021	24.12.2021	27.12.2021
3.	स्वर्णजयन्तीपुरम योजना के बी–ब्लॉक में बड़े पार्क में जनसविधा हेतु शौचालय (महिला / पुरूष) एवं झोपडी के निर्माण का कार्य।	5,97,542.32	12,000.00	1534.00	2 माह	डी	15.12.2021	24.12.2021	27.12.2021
4.	इन्दिरापुरम योजना स्थित दिव्यांग पार्क का एक वर्ष की अवधि के लिए उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।	8,13,589.39	17,000.00	1534.00	12 माह	डी	15.12.2021	24.12.2021	27.12.2021
5.	मधुवन–बापूधाम योजना स्थित पॉकेट–एफ के 10 नग पार्को का एक वर्ष की अवधि के लिए उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।	8,65,369.80	18,000.00	1534.00	12 माह	डी	15.12.2021	24.12.2021	27.12.2021
6.	ग्रीन पार्क अभय खण्ड–1 इन्दिरापुरम में तालाब की क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल के निर्माण का कार्य।	8,76,088.00	18,000.00	1534.00	2 माह	डी	15.12.2021	24.12.2021	27.12.2021
7.	इन्दिरापुरम योजना स्थित ग्रीन पार्क के कॉर्नर एवं गौड ग्रीन एवेन्यू एन्ट्री कट का उद्यानिक विकास एवं एक वर्ष की अवधि के लिए उद्यानिक रख–रखाव का कार्य।	9,90,290.00	20,000.00	1534.00	2+12 माह	डी	15.12.2021	24.12.2021	27.12.2021

नियम व शर्ते :–

1. निविदा प्रपत्र प्राधिकरण की वैबसाइट **www.gdaghaziabad.in** पर देखा / डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का उपयोग कर निविदा डालने पर निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर (नॉन–रिफण्डेबल) जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में गाजियाबाद स्थित बैंक शाखा में भुगतान योग्य हो तथा धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट / पे आर्डर तथा धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
2. निविदा विक्रय के अंतिम दिवस तथा निविदा आमंत्रण के दिनांक को अवकाश की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस को विक्रय / खोली जायेगी।

3. डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र को स्पायरल बाइण्ड/हार्ड बाइण्ड करने के पश्चात् ही निविदा हेतु प्रयोग किया जायेगा।
4. वैबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और बैंक में बिक्री के लिए उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो, तो बैंक में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होंगे।
5. निविदा स्वीकृति उपरान्त अनुबंध की औपचारिकतायें दस दिन के अन्दर पूर्ण करनी होगी।
6. धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बैंक से निविदा निर्गत की जायेगी। एफ0डी0आर0 उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक होगी।
7. अनुबन्ध के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक की कोई दुर्घटना आदि हो जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
8. ठेकेदार को अनुरक्षण प्रकृति के कार्यों हेतु श्रमिक उपस्थित पंजिका का प्रतिमाह रख–रखाव करना होगा।
9. लेबर एक्ट का पूर्ण रूप से पालन करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
10. ठेकेदार अपने श्रमिकों को पहचान पत्र देगा जो ठेकदार द्वारा सत्यापित होगा।
11. निविदा की दरें जी0एस0टी0 रहित होंगी, जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार अलग से किया जायेगा।
12. ठेकेदार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अथवा उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में वैध पंजीकरण की प्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
13. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी मुख्य अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद